

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 सितम्बर 2021—भाद्र 30, शक 1943

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2021

क्र. 944/रा.स./यू.ए.-5/2014.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छः) के अंतर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

स. क्र. (1)	नामांकित व्यक्ति का नाम (2)	अधिनियम का प्रावधान (3)
1.	डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा, निदेशक, रिसर्च सेवाएँ, (जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर) बी.-6, कृषि नगर, आधारताल, जबलपुर, मो. 9425359690	धारा 27(2) (तीन)
2.	1. श्री अतुल शर्मा, ग्राम सनोरा, जिला दतिया (म. प्र.) 2. श्री चतुर सिंह गुर्जर, ग्राम चीनौर, जिला ग्वालियर (म. प्र.) मो. 9993501152	धारा 27(2) (चार)
3.	डॉ. सुनन्दा सिंह रघुवंशी, ई-7/59, एस.बी.आई. कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मो. 9589030229	धारा 27(2) (पांच)
4.	डॉ. प्रवीण शिन्दे, अतिरिक्त उप संचालक, पशुपालन, एफ-108/29, शिवाजी नगर, भोपाल मो. 9406980907	धारा 27(2) (छः)

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.